IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नंगेली की कहानी और हेमा समिति रिपोर्ट: एक ऐतिहासिक तुलना

डॉ सिमी एस कुरूप,

अतिथि अध्यापक,

हिंदी विभाग

संत बेर्चमेंस कॉलेज, चंगनाचेरी, केरल, भारत

शोध सारांश : नंगेली और हेमा समिति रिपोर्ट के बीच एक स्पष्ट संबंध है। दोनों घटनाएं महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष का प्रतीक हैं। नंगेली ने अपने शरीर को एक हथियार बनाकर राजा के अत्याचार का विरोध किया, जबकि हेमा समिति रिपोर्ट ने एक उद्योग के भीतर व्याप्त यौन उत्पीड़न की पोल खोली। दोनों घटनाएं यह दर्शाती हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कितनी दूर जा सकती हैं और कितनी बलिदान देने को तैयार होती हैं। इस रिपोर्ट में उजागर किए गए आरोपों ने सिनेमा उद्योग को हिलाकर रख दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों के लिए एक जागरूकता पैदा कर रहा है और समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंगेली की कहानी हमें याद दिलाती है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कितनी दृढ़ होती हैं। उनकी बलिदान ने सदियों तक प्रेरणा दिया है। हेमा समिति रिपोर्ट भी इसी तरह की प्रेरणा का काम कर सकती है। यह रिपोर्ट महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और समाज को महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

बीज शब्द:

1. **नंगेली**
2. **हेमा समिति रिपोर्ट**
3. **स्तन कर**
4. **मलयालम फिल्म उद्योग**
5. **यौन उत्पीड़न**

प्रस्तावना

केरल की सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में नंगेली का नाम अमर हो गया है। नांगेली को इतिहास में उस महिला के रूप में जगह मिली, जिसने पुरानी त्रावणकोर में लगाए गए अमानवीय कर के विरोध में अपने स्तन काट दिए थे। उनके साहस पूर्ण कर्म से समाज में एक नया आयाम जुड़ा। हाल ही में प्रकाशित हेमा समिति रिपोर्ट भी महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण की समस्याओं को उजागर करती है। इन दोनों घटनाओं के बीच एक गहरा संबंध है, जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्षों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

1. **नंगेली** की **बलिदान**

नांगेली का जन्म 19वीं सदी के भारत में हुआ था, जब जातिवाद और सामाजिक असमानता एक आम समस्या थी। वे केरला के एक छोटे से गाँव में एक गरीब परिवार में जन्मी थीं। उस समय भारत में जातिवाद की जड़ें गहरी थीं, और समाज के उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर अत्याचार किया जाता था। नांगेली का परिवार भी इस जातिवादी व्यवस्था का शिकार था।

नांगेली की कहानी का महत्वपूर्ण भाग उनकी बहन कस्तूरी की मृत्यु से जुड़ा है। कस्तूरी की मृत्यु के बाद नांगेली ने यह देखा कि उनकी बहन की मृत्यु के बाद भी परिवार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यह स्थिति नांगेली को असंतुष्ट और असहाय महसूस करवा रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होंगी और समाज के खिलाफ आवाज उठाएंगी।

नांगेली ने अपने विरोध की शुरुआत उस समय की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ की, जो गरीब और निम्न जातियों के लोगों को अत्याचार का शिकार बनाती थी। उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और समाज के अन्यायपूर्ण नियमों को चुनौती दी। उनके विरोध की एक प्रमुख घटना उस समय के उच्च जातियों द्वारा लागू किए गए विचित्र प्रकार के कर का विरोध था।

यह कर वह कर था जिसे निम्न जातियों के लोगों को उच्च जातियों को देना पड़ता था। यह कर एक प्रकार का अपमानजनक टैक्स था, जो केवल निम्न जातियों को ही देना पड़ता था। नांगेली ने इस कर का विरोध किया और समाज के अन्यायपूर्ण नियमों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका परिवार इस कर का भुगतान न करे, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया।
केरल के कुछ प्रदेशों में (पुरानी त्रावणकोर) दलित महिलाओं को युवावस्था प्राप्त करने पर "स्तन कर" का भुगतान करना पड़ता था। 1803 में, एक दिन, दबे हुए गुस्से और विद्रोह की भावना ने नांगेली को जाति-आधारित कर लगाने की इस अमानवीय और क्रूर प्रणाली और स्तनों के आकार को मापने और भुगतान की जाने वाली राशि को परिभाषित करने की सवर्ण दृष्टि को चुनौती देने के लिए उकसाया। इस प्रकार, प्रथागत कर, केले के पत्ते पर चढ़ाने के बजाय, जब प्रवर्तियार (ग्रामीण कर संग्रहकर्ता) आया, तो नांगेली ने दरांती का उपयोग करके अपने स्तनों को काट लिया और उन्हें केले के पत्ते पर रख दिया । इस प्रक्रिया से अधिक मात्र में खून बहने से उनकी मृत्यु हो गयी। भयभीत प्रवर्तियार वहां से भाग गए और बाद में लोगों ने उनके शव को जलाकर अंतिम संस्कार किया। उनके पति चिरूकंदन दुःखी होकर उनकी चिता में प्रविष्ट हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत ही जल्दी उस समय के राजा, श्री मूलम थिरुनल ने एक उद्घोषणा जारी की जिसमें स्तन कर को वापस ले लिया गया और निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के लिए शॉल पहनने की अनुमति दी गई। इस प्रकार नांगेली के बलिदान से एक स्पष्ट सामाजिक परिणाम मिला जिसने महिलाओं की गरिमा बचाया। नांगेली का संघर्ष लंबा और कठिन था। उन्होंने समाज के खिलाफ अपने विरोध को जारी रखा, लेकिन उच्च जातियों द्वारा उन पर दबाव बनाया गया। अंततः, नांगेली की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपनी शहादत के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया कि उनके जैसे व्यक्ति का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं होता। नांगेली की शहादत और उनके संघर्ष ने समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की। उनकी कहानी ने लोगों को यह दिखाया कि एक व्यक्ति की दृढ़ता और साहस समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनकी कहानी ने समाज के अन्यायपूर्ण नियमों और जातिवादी सोच को चुनौती दी है। आज के समय में, नांगेली की कहानी समाज के विभिन्न हिस्सों में एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखी जाती है। उनकी कहानी ने यह सिद्ध किया कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने की शक्ति एक व्यक्ति के पास होती है। उनके संघर्ष ने समाज को यह सिखाया कि सच्ची समानता और न्याय के लिए हमें साहसिक कदम उठाने होंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। नांगेली की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और साहस से ही सामाजिक बदलाव संभव है। उनकी विरासत और उनका योगदान समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है।

2. #MeToo आंदोलन: एक वैश्विक आवाज

#MeToo आंदोलन 2017 में शुरू हुआ एक वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न और हिंसा के शिकार महिलाओं को आवाज देने और उनके अनुभवों को साझा करने का मंच प्रदान करना है। यह आंदोलन दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रेरित किया है और यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में भी #MeToo आंदोलन ने बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है और यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ लड़ाई को तेज किया है।

3. हेमा समिति रिपोर्ट

मलयालम फिल्म उद्योग में एक बड़ी उथल-पुथल देखी गई जिसके कारण वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) का गठन हुआ। डब्ल्यूसीसी ने एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामला सामने आने के बाद, फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच के लिए एक याचिका दायर की। उनकी याचिका के आधार पर, केरल सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. हेमा ने की और समिति का नाम इसके प्रमुख के नाम पर रखा गया। इसमें पूर्व अभिनेत्री शारदा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के.बी. वल्सला कुमारी भी शामिल थे। इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, धमकी, और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कई महिलाओं को अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। रिपोर्ट में विशेषकर महिलाओं के लिए यौन शोषण, अवैध प्रतिबंध, भेदभाव, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, वेतन असमानता और अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों की भयानक कहानियाँ सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सिनेमा उद्योग पुरुष प्रधान है और यह एक विशेष “लड़कों” का क्लब बन गया है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें:

3.1 जागरूकता और रिपोर्टिंग तरीके में वृद्धि:

रिपोर्ट में उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए मजबूत तरीके स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में पीड़ितों के लिए प्रतिशोध के डर के बिना घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक गोपनीय और सुलभ मंच बनाने का सुझाव दिया।

3.2 सख्त नीतियों का कार्यान्वयन:

इस रिपोर्ट ने फिल्म निर्माण कंपनियों और संबंधित संगठनों के भीतर सख्त उत्पीड़न विरोधी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की सिफारिश की। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की स्थापना शामिल है।

3.3 प्रशिक्षण और संवेदी करण कार्यक्रम:

रिपोर्ट में फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और चालक दल के सदस्यों सहित उद्योग के पेशेवरों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदी करण कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया गया, ताकि उन्हें लिंग संवेदनशीलता और उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित किया जा सके।

3.4 पीड़ितों के लिए सहायता प्रणालियाँ:

इस रिपोर्ट में उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए परामर्श सेवाओं और कानूनी सहायता जैसी सहायता प्रणालियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आवश्यक संसाधनों और समर्थन तक का पहुंच प्राप्त हो।

3.5 लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:

रिपोर्ट ने फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं में महिलाओं के लिए समान अवसर और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के उपाय सुझाते हुए उद्योग के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की वकालत की है।

3.6 निगरानी और जवाबदेही:

इसने इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने की सिफारिश की। इस निकाय को शिकायतों की समीक्षा करने, नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाइयों की सिफारिश करने का काम सौंपा जाएगा।

4. समानताएं और अंतर

नंगेली की बलिदान और हेमा समिति रिपोर्ट के बीच कई समानताएं और अंतर हैं। दोनों घटनाओं में महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण प्रमुख विषय है। नंगेली ने अपने स्तनों को काट कर एक व्यक्तिगत बलिदान दिया, जबकि हेमा समिति रिपोर्ट में सामूहिक उत्पीड़न की बात सामने आई है।

4.1 समानताएं:

4.1.1 महिलाओं का उत्पीड़न: दोनों घटनाओं में महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर उत्पीड़ित किया गया है। नंगेली को स्वर्ण आभूषण देने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि हेमा समिति रिपोर्ट में महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार बताया गया है।

4.1.2 समाज में महिलाओं की स्थिति: दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से चुनौतीपूर्ण रही है। नंगेली के समय में दलित महिलाओं को उच्च जातियों के लोगों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता था, जबकि आज भी महिलाओं को विभिन्न रूपों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

4.2 अंतर:

4.2.1 समय और स्थान: नंगेली का बलिदान 19वीं शताब्दी में हुआ, जबकि हेमा समिति रिपोर्ट 21वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा, नंगेली की बलिदान केरल के पुरानी परिस्थितियों में हुआ था, जबकि हेमा समिति रिपोर्ट आधुनिक मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित है। फ़िल्मों जैसी दृश्य कलाएँ और पेंटिंग, कॉमिक्स जैसी ग्राफिक कलाएँ ऐसी किंवदंतियों, मिथकों और पुराने या बेहिसाब इतिहास को दोबारा बताए जाने की जरिया हैं। वर्तमान युग में, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन पर तार्किक बहस जारी है, समकालीन समाज में जाति और जाति-आधारित हिंसा इतिहास से कुछ शब्द चित्रों को आधुनिक दिमागों में ले जाती है । विभिन्न कला रूप भी इस जातिगत बहस में उलझे हुए हैं और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण कुछ प्रतिनिधित्व के छिपे हुए एजेंडे को उजागर करता है। इस तरह के अधिकांश प्रवचन जातिगत भेदभाव के खिलाफ विद्रोह के रूप में छिपाए जाते हैं, लेकिन वे अपने भीतर उन्हीं जाति वादी भावनाओं के स्वर लेकर चलते हैं जिन्हें वे कथित तौर पर चुनौती देते हैं या विरोध करते हैं। यह सोच कर हैरानी होती है की वही माध्यम जो इन सब पुरानी परिस्थितियों को सुधरने की जरिया है, उसी के अन्दर इस युग में भी महिलाओं के साथ इतनी क्रूर सामूहिक उत्पीड़न चलता आ रहा है ।

4.2.2 व्यक्तिगत और सामूहिक उत्पीड़न: नंगेली का बलिदान एक व्यक्तिगत घटना थी, जबकि हेमा समिति रिपोर्ट में सामूहिक उत्पीड़न की बात सामने आई है।

4.2.3 प्रतिक्रिया और प्रभाव: नंगेली के बलिदान के बाद कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं हुई, जबकि हेमा समिति रिपोर्ट के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा।

5. निष्कर्ष

नांगेली का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने साहस और दृढ़ता के माध्यम से समाज की सोच और व्यवस्था को बदल सकता है। उनके संघर्ष ने जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई, और उनकी शहादत ने यह सिद्ध किया कि एक व्यक्ति की शक्ति और संकल्प समाज में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नांगेली की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे न्याय और समानता के लिए हमें लगातार प्रयास और साहसिकता की आवश्यकता है। उनके संघर्ष और शहादत ने समाज को यह सिखाया कि बदलाव संभव है, और यह हमें आज भी प्रेरित करता है। नंगेली और हेमा समिति रिपोर्ट के बीच एक गहरा संबंध है। दोनों घटनाएं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्षों को उजागर करती हैं। नंगेली का बलिदान एक ऐतिहासिक घटना है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रतीक बन गई है। हेमा समिति रिपोर्ट भी इसी संघर्ष का एक आधुनिक उदाहरण है। यह दोनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण की समस्या आज भी मौजूद है। हमें इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

नंगेली की कहानी और हेमा समिति रिपोर्ट के माध्यम से हम इस संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं कि महिलाएं अपनी आज़ादी और सम्मान के लिए संघर्ष करती रहेंगी।

6. अनुशंसा

6.1 महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए।

6.2 महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए।

6.3 महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.4 सरकार और समाज को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए।

नंगेली की कहानी और हेमा समिति रिपोर्ट के माध्यम से हम महिलाओं के संघर्ष और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई को समझ सकते हैं। यह दोनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें एक अधिक समता पूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है।